Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१,भीकाजीकामाप्लेस,
नईदिल्ली–११००६६
Trikoot-1, BhikajiCama Place,
New Delhi - 110066

भारतसरकार
सामाजिकन्यायएवंअधिकारितामंत्रालय
राष्ट्रीयपिछड़ावर्गआयोग
Government of India
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

F.No. NCBC/06/05/214/2020 **Dated:12.11.2020**

To,

Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare,
Nirman Bhawan, Near Udyog Bhawan Metro Station,
Maulana Azad Rd, New Delhi-110108.
Email: Secyhfw@nic.in

Sub: Complaint against zero reservation to OBC in PG medical admission under AIQs-reg.

Sir,

I am directed to refer to hearing dated 08.10.2020 on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing along with the recommendation of NCBC for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

M.M Chattopadhyay

(Dr. M.M. Chattopadhyay)
Joint Director (Admin)

Copy to:

1. Shri G. Karunanidhy, General Secretary, All India Federation of Other Backward Classes Employees Welfare Association, R/o 139, Broadway, Chennai- 600108 for information.
2. PS to Hon'ble Chairman/Vice-Chairman/ Member (KSP)/Member (SY)/ Member (AT)/ Secretary.
3. Deputy Secretary/ Joint Director/Under Secretary

F.No. NCBC/06/05/214/2020-RW

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

Subject: Complaint against zero reservation to OBCs in UG/PG Medical admission under AIQ reg.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 20.05.2020 को श्री जी. करूणानिधि, जनरल सेक्रेटरी, एआईओबीसी की शिकायत प्राप्त हुई जिस संबंध में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ दिनाँक 23.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई थी जिसके कार्यवृत एवं आयोग कि अनुसंशाऐ दिनाँक 21.08.2020 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी गयी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भेजी गई अनुसंशाओ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का जायजा लेने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुनः दिनाँक 08.10.2020 को सुनवाई करने का निर्णय लिया।

बैठक कि तिथि: 08.10.2020

समय: 03: 00 (अपराह्न)

बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी: अनुलग्नक 'क'

.....

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:

माननीय अध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयोग को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत करवाए।

सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय:

माननीय आयोग द्वारा पिछली सुनवाई में यह अनुशंसा की गई थी इस मामले के जल्द से जल्द निपटारे के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय विधि मंत्रालय से संपर्क कर विधि मंत्रालय

का मंतव्य अतिशीघ्र समय सीमा के भीतर प्राप्त करे। जिस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विधि मंत्रालय को अतिशीघ्र परामर्श देने हेतु पत्र लिखा गया परंतु विधि मंत्रालय के परामर्श देने के पूर्व ही माननीय तमिलनाडू हाई कोर्ट का आदेश आ गया जिसके अनुसार माननीय तमिलनाडू हाई कोर्ट ने यह माना कि आरक्षण दिया जाना चाहिए परंतु कैसे दिया जाना चाहिए इसकी प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। एवं यह भी निर्देश दिया गया कि एक कमेटी गठित की जानी चाहिए एवं इसका समस्या का निपटान किया जाना चाहिए ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से आरक्षण को लागू किया जा सके। माननीय तमिलनाडू हाई कोर्ट के आदेशानुसार श्री बी. डी. अठानी कि अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसकी प्रथम बैठक सितम्बर माह में संपन्न भी कि जा चुकी है जिसमे यह निर्धारित किया गया कि यदि आरक्षण दिया जाना है तो उसका आधार क्या होगा जिसके संबंध में तमिलनाडू सरकार से भी परामर्श माँगा गया है जिसमे तमिलनाडू सरकार द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री से सलाह के पश्चात् परामर्श/ प्रस्ताव दिया जायेगा जो कि अभी आना शेष है।

इसी बीच विधि मंत्रालय से भी पत्र का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ जिसमे उन्होंने लिखा कि पूर्व में

असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल द्वारा दी गई राय पर ही अमल किया जाये। वर्तमान समय में यही प्रगति हुई है।

माननीय सदस्य श्री आचारी तल्लोजू:

जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तो फिर क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना है?

माननीय उपाध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):

जब समिति का गठन किया जा चूका है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना आवश्यक है? जिस समिति कि आप बात कर रहे है वह कितने सदस्यीय है एवं उसमे कितने अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि है।

सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय:

5 सदस्यीय समिति गठित कि गई है एवं उसमे से कितने सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री बी. डी. अठानी:
समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि है।

श्री रमेश:
आप जिस समिति की बात कर रहे है वह तो केवल तमिलनाडू राज्य के लिए है परंतु माननीय आयोग ने यह मुद्दा तो पूरे देश के लिए उठाया था।

माननीय उपाध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):
पिछली सुनवाई के बाद माननीय सदस्य श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल में स्वास्थ्य विभाग से कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बोला था परंतु आपने वो अभी तक प्रस्तुत नहीं किये है।

सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय:
हमने पूरे देश से आंकड़े मंगवाए है जिसकी वजह से थोडा विलंब हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):
आयोग में जुलाई में आपसे आंकड़े मंगवाए थे यदि यही आंकड़े पार्लियामेंट द्वारा मांगे गये होते क्या तब भी आपका यही उत्तर होता? क्या तब भी आपको इतना ही समय लगता?

माननीय अध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):
27 प्रतिशत तो केंद्र सरकार कि नीति है। तो फिर क्यों 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है माननीय कोर्ट तो केवल आपको यह बता सकता है कि आरक्षण वैध है या नहीं। और जब माननीय कोर्ट द्वारा एक बार आदेश दिया जा चुका है कि आरक्षण वैध है तो वह वैध ही रहेगा इसके पश्चात् भी आरक्षण न दिया जाना तो नियमानुसार सही नहीं है। आपकी मनसा ठीक होती तो आरक्षण मिल गया होता। आप जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूर्ण कीजिये एवं 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कीजिये।

माननीय सदस्य डॉ सुधा यादव:

जब मंत्रालय देना चाहता है तो समस्या क्या है?

आपने अभी बोला कि कुछ सीटें राज्य कि होती है तो जिस प्रकार अन्य विभागों में रोस्टर बनाया जाता है उसी प्रकार आप भी रोस्टर बनाकर सीटों का आवंटन कर सकते है। केंद्र का आरक्षण केंद्र सरकार कि नीति के अनुसार कीजिये एवं राज्य की सीटों के आवंटन के लिए रोस्टर का निर्माण किया जा सकता है। इस समस्या के जल्दी से जल्दी निपटान के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण होना अति आवश्यक है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण किस प्रकार दिया जाता है।

श्री बी. डी. अठानी:

तमिलनाडू सरकार के समक्ष रोस्टर बनाने का प्रस्ताव ही रखा गया है जिन जगहों पर एक या दो ही सीट है तो उनका आवंटन आरक्षण के अनुसार हो पाना संभव नहीं है अतः इस समस्या के निपटन हेतु हमने रोटेशन के अनुसार आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को केंद्र कि नीति के अनुसार ही आरक्षण दिया जाता है।

श्री रमेश:

जब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने से पूर्व विचार नहीं कर रहे है तो अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण देने से पूर्व इतना विचार क्यों किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):

आल इंडिया कोटा में राज्य सरकार द्वारा जो सीटें सरेंडर की जाती है तो सीट न भरने कि स्थिति में क्या सीटों को राज्य सरकार को बापिस किया जाता है।

डी. जी. एच. एस., स्वास्थ्य मंत्रालय:

सीट न भरने कि स्थिति में सीटों को राज्य सरकार को बापिस किया जाता है। पर उन सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा रोक नहीं लगायी जाति है। राज्य सरकार को सीटें बापिस करने के बाद राज्य सरकार उन सीटों को राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार भर सकते है।

माननीय उपाध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):

जब आप राज्य सरकार से सीटें ले रहे है तो राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र कि सीटें है जब आप बापिस कर रहे है तो राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार कि सीटें है।

डी. जी. एच. एस., स्वास्थ्य मंत्रालय:

हम जब राज्य सरकार को सीटें बापिस करते है तो उसमे स्पष्ट रूप से लिख देते है कि अब आप राज्य सरकार की आरक्षण नीति के नियमानुसार सीटों का आवंटन कर सकते है।

माननीय उपाध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):

आप उस स्पष्टीकरण पत्र की एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध करवा दीजिये।

श्री रमेश:

जब राज्य सरकार ने सीटें सरेंडर कर दी तो वे सीटें तो केंद्र सरकार की ही हो गई तो अब तो आप उस पर केंद्र सरकार के अनुसार आरक्षण क्यों नहीं लागू कर सकते है।

माननीय उपाध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):

जब ई० डब्लू० एस० के आरक्षण से संबंधित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है तो आप कैसे ई० डब्लू० एस० कोटे को 10 प्रतिशत का आरक्षण दे रहे है?

माननीय सदस्य डॉ सुधा यादव:

जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जा रहा है उसको आधार मानकर ही अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष (रा०पि०व०आ०):

आप आश्वासन दीजिये कि अतिशीघ्र ही अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पूर्ण रूप से दिया जायेगा।

सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय:

आयोग कि बात न्याय संगत है एवं हम आपको यह आश्वासन देते है जैसे ही श्री बी० डी० अठानी समिति कि रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौपी जायेगी एवं माननीय आयोग के जो दिशानिर्देश होंगे उसके अनुसार अतिशीघ्र ही समाधान निकाल कर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पूर्ण रूप से दिया जायेगा।

सुनवाई के फलस्वरूप आयोग कि अनुसंशा:

आयोग कि अनुसंशा है कि श्री बी० डी० अठानी समिति कि रिपोर्ट आने के पश्चात् अतिशीघ्र ही न केवल तमिलनाडू राज्य अपितु सम्पूर्ण राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये एवं आने वाले शैक्षणिक सत्र से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण रूप से लागू किया जाये।

स्थान: नई दिल्ली।
दिनाँक:08.10.2020

(श्री आचारी थल्लोजू)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ. सुधा यादव)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F.No. NCBC/06/05/214/2020-RW

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

अनुलग्नक 'क'

बैठक में उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

1. माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी
2. माननीय उपाध्यक्ष, डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति
3. माननीय सदस्य, डॉ. सुधा यादव
4. माननीय सदस्य, श्री आचारी थल्लोजू
5. अवर सचिव, श्री जे० रविशंकर
6. संयुक्त निदेशक, डॉ. मधुमाला चट्टोपाध्याय
7. अनुसंधान अधिकारी, डॉ. राजुल रायकवार
8. अनुसंधान अधिकारी, श्री अभिमन्यु
9. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव, श्री दिनेश कुमार
10. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव, श्री संदीप कुमार दक्ष
11. माननीय सदस्य (ऐ० टी०) के निजी सचिव, श्री अनिल कुमार
12. माननीय सदस्य (एस० बाय०) के निजी सहायक, श्री हर्षित यादव

स्वास्थ्य मंत्रालय (प्रतिवादी)

1. सचिव, श्री राजेश भूषण
2. श्री बी० डी० अठानी, डी० जी० एच० एस०
3. श्री निपुन विनायक, संयुक्त सचिव
4. डॉ. बी० श्रीनिवास, ऐ० डी० जी०

शिकायकर्ता

1. श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, सीनियर एडवोकेट